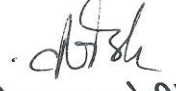


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) नि.प./ (आर-33/92आर)/अलेसे-III/11828-36 दिनांक :- 15.1.14

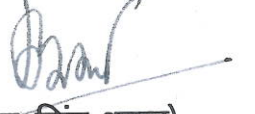
कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 206/2013-14 दिनांक 21.08.2013 के द्वारा श्री रामबाबू नामा, कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन कार्यालय न्यू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोटा को 2000/- (अंके रुपए दो हजार) की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने की दिनांक 14.08.2013 से निलम्बित कर निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय, झालावाड़ किया गया था। प्रकरण में माननीय न्यायालय में दिनांक 09.10.2013 को चालान पेश किया जा चुका है। श्री नामा ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के मध्येनजर निलम्बन काल में मुख्यालय सवाई माधोपुर/कोटा/बून्दी में करने का अनुरोध किया है। अतः श्री नामा की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषालय, सवाई माधोपुर किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई) नि.प./ (आर-33/92आर)/अलेसे-III/11828-36 दिनांक :- 15.1.14
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अधीक्षक, न्यू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोटा।
5. कोषालय, झालावाड़।
6. कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर।
7. श्री रामबाबू नामा, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित) मुख्यालय कोषालय, झालावाड़।
8. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
9. श्री महेन्द्र कुमार गोयल, लेखाकार।
10. जांच शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/पदस्थापन सीट।
11. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)